कार्यालय : मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

पत्रांकः 1105 /विधि/म0वृ0वि0प्रा0/2022–23 दिनांकः– 16 जून, 2022

प्रेषक,

सचिव,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

16/6/22

विषयः लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु राजस्व ग्राम जैंत के मध्य आ रही ग्राम समाज की नाली एवं चकरोड की भूमि के पुनर्ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के अन्तर्गत अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम जैंत स्थित लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अन्तर्गत भूमि के मध्य में आ रही नाली क्षेत्रफल 0.1230 हे0 एवं चकमार्ग क्षेत्रफल 0.0810 हे0 तद्नुसार कुल 0.2040 हे0 भूमि के सम्बन्ध में आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा पुनर्ग्रहण आदेश संख्या–1788/आर0ए–पुनर्ग्रहण/2021–22 दिनांक 18 मई, 2022 निर्गत करते हुए, उक्त भूमि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सःशुल्क हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त के अनुपालन में नाली एवं चकरोड की भूमि के पुनर्ग्रहण की निर्धारित धनराशि मु0 40,80,907.00 रूपये राज्य सरकार के राज कोष लेखा संख्या–0029 भू–राजस्व, 800 अन्य प्राप्तियॉ, 08 मालिकाना राजस्व, 0806 प्रकीर्ण प्राप्तियॉ भारतीय स्टेट बैंक मथुरा में चालान संख्या–0700/01/F100088 दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से जमा करायी जा चुकी है। धनराशि जमा करने के चालान की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि राजस्व ग्राम जैंत स्थित पुनर्ग्रहण की गयी नाली एवं चकरोड की भूमि का भौतिक कब्जा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को प्रदान करने के साथ–साथ राजस्व अभिलेखों में मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण का नाम अंकित कराने के आदेश निर्गत करने के कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

16.6.22

(राजेश कुमार)
सचिव

O/C

(G 467)

कोषागार प्रपत्र -- 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैक मथुरा
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था का नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।
2. पता	32 सिविल लाइन्स मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या	
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जा की जा रही है ।)	लैण्ड पूलिंग स्कीम-2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु राजस्व ग्राम जैत के मध्य आ रही ग्राम समाज की नाली एवं चकरोड की भूमि का पुनर्ग्रहण भूमि 0.2040 है0 के मूल्यांकन की धनराशि को राज कोष में जमा करने के सम्बन्ध में ।
5. चालान की सकल राशि	रूपये 40,80,907/-
6. चालान की निबल राशि	रूपये 40,80,907/-
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :	राज्य सरकार के राज कोष लेखा 0029- भू-राजस्व 800- अन्य प्राप्तियाँ 08- मालिकाना राजस्व 0806- प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उपमुख्यलेखा-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यौरेवार शीर्षक	धनराशि(अंको में)
0 0 2 9	0 8	8 0 0	0 8	0 6	40,80,907/-

धनराशि (शब्दों में) रूपये चालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ सात मात्र | 40,80,907/-

एच0डी0एफ0सी0 मथुरा डीडी सं0 019321 दिनांक 27.05.2022

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: लेखाकार मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :.. 670601 F1 00088

अंको में रू0

शब्दों में रू0

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/ बैंक की मुहर सहित

Income tax forms

Scanned with CamScanner

STATE BANK OF INDIA

BRANCH - MATHURA MAIN BRANCH
0000678

Uttar Pradesh State Government Treasury Challan

Name of Treasury MATHURA

Treasury Code 0700

Financial Year 2022-2023

Govt Ref No

Purpose

Name of Depositor MATHURA VRINDAVAN VIKAS PRADHIKARAN

Address of Depositor MATHURA MATHURA, MATHURA MATHURA, UTTAR PRADESH, 281001

Registration Number

Head Code	Column Code	Div Code	Head Description	SR.No	Amount
0029000000000000			LAND REVENUE	1	4080907

Total Amount ₹ 40,80,907.00

Amount in Words - FORTY LAKHS EIGHTY THOUSAND NINE HUNDRED SEVEN ONLY

Date of Tender of Challan 01.06.2022

Date of Realization 01.06.2022

Challan No 0700/01/F100088

Mode of Deposit BGL Transfer

Journal No - 301582990 This is a Computer generated receipt, hence does not required signature

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA 1839 P.B.B., MATHURA पी बी बी, मथुरा

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

संख्याः– 1788 /आर0ए0–पुनर्ग्रहण/2021–22,　　　　　　　　　　दिनांकः–मई 18, 2022

आदेश

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने पत्र संख्या–127/सात–बी/भू0व्य0/2022, दिनांक 07–05–2022 में उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पत्र संख्या–2382/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2021–22, दिनांक 30–03–2022 द्वारा लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास के उपयोगार्थ जनपद, मथुरा की तहसील, मथुरा सदर के नगर निगम सीमान्तर्गत राजस्व ग्राम जैंत में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तद्क्रम में लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास के उपयोगार्थ जनहित में जनपद, मथुरा की तहसील, मथुरा सदर के नगर निगम सीमान्तर्गत राजस्व ग्राम जैंत की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

2– जिलाधिकारी, मथुरा ने अपने प्रस्ताव दिनांक 07–05–2022 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा के पत्र संख्या–2382/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2021–22, दिनांक 30–03–2022 में उल्लिखित मांग के अन्तर्गत लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास के उपयोगार्थ जनपद, मथुरा की तहसील, मथुरा सदर के नगर निगम सीमान्तर्गत राजस्व ग्राम जैंत स्थित खसरा संख्या 740 नाली क्षेत्रफल 0.0080 हे0, खसरा संख्या 742 नाली क्षेत्रफल 0.0270 हे0, खसरा संख्या 752मि0 नाली क्षेत्रफल 0.0330 हे0, खसरा संख्या 768 नाली क्षेत्रफल 0.0550 हे0 श्रेणी 6–1 नाली कुल किता 04 कुल रकवा 0.1230 हे0 तथा खसरा संख्या 738 चकरोड क्षेत्रफल 0.0600 हे0, खसरा संख्या 747 चकरोड क्षेत्रफल 0.0110 हे0, खसरा संख्या 749 चकरोड क्षेत्रफल 0.0370 हे0, खसरा संख्या 769 चकरोड क्षेत्रफल 0.0330 हे0 कुल 04 किता खसरा कुल क्षेत्रफल 0.1410 हे0 सम्पूर्ण योग कुल 08 किता कुल क्षेत्रफल 0.2640 हे0 ग्राम समाज की भूमि का पुनर्ग्रहण मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पक्ष में करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें से चकमार्ग खसरा संख्या 738 क्षेत्रफल 0.0600 हे0 भूमि के विनिमय का प्रस्ताव हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु चयनित मै0 सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 द्वारा पूर्व में भेजे जाने के कारण लैण्ड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत दर्शाये गये चकमार्ग खसरा नंबर 738 क्षेत्रफल 0.0600 हे0 भूमि को पृथक करते हुए कुल 04 किता खसरा श्रेणी 6(1) नाली क्षेत्रफल 0.1230 हे0 एवं कुल तीन 03 किता खसरा श्रेणी 6(2) क्षेत्रफल 0.0810 हे0 तदनुसार कुल क्षेत्रफल 0.2040 हे0 सावर्जनिक उपयोग की भूमि का पुनर्ग्रहण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण अनुसूची में निम्नवत प्रेषित किया है:–

अनुसूची

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम सभा का नाम	खाता संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का दो गुना (भूमि का क्षे0Xदर का दो गुना)	भूमि का बाजार मूल्य (भूमि का क्षे0Xबाजार मूल्य का दो गुना)	पूंजीकृत मूल्य का 150 गुना	कुल मूल्य (कॉलम 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मथुरा	जैंत (नगर निगम सीमान्तर्गत)	01197/740 01197/742 01197/752मि0 01197/768	0.0080 0.0270 0.0330 0.0550	श्रेणी6(1) अकृषित भूमि–जलमग्न भूमि नाली				
			कुल 04 किता	0.1230					
			01206/747 01206/749 01206/769	0.0110 0.0370 0.0330	श्रेणी 6(2) अकृषित भूमि, स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हों (चकमार्ग)				
			कुल 03 किता	0.0810					
			कुल 07 किता	0.2040		40,80,000	40,80,000	907.50	40,80,907.5[illegible]

नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा की सीमान्तर्गत स्थित राजस्व ग्राम जैंत में पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित ग्राम सभा जैंत की भूमि का जिलाधिकारी द्वारा [illegible] एवं भूमि का बाजार मूल्य एक समान रू0 1,00,00,000/–प्रति हेक्टेयर होने के दृष्टिगत शासनादेशानुसार इसका दो गुना रू0 2,00,00,000/– X [illegible] 40,80,000/– + पूँजीकृत मूल्य रू0 907.50= रू0 40,80,907.50/–(रूपया चालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ सात रूपये पचास पैसे मात्र) [illegible] 40,80,907/–मूल्यांकन होता है।

Scanned with CamScanner

3— प्रस्ताव में अधिग्रहण की जाने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि के मूल्यांकन के विषय में उल्लिखित है कि ग्राम जैंत की पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि के कुल गाटे 07 का रकवा 0.2040 हे0 गाँव सभा भूमि के प्रचलित बाजारू मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर में से जो अधिक हो, के अनुसार भूमि के मूल्य का दो गुना मु0 40,80,000/—रूपया + मालगुजारी का 150 गुना पूँजीकृत मूल्य 907.50/—रूपया अर्थात पूर्णांक में मु0 907/—रूपया =पूर्णांक में कुल धनराशि मु0—40,80,907/—रूपया (रू0 चालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ सात रूपया मात्र) होता है।

4— उक्त प्रस्ताव के साथ क्षेत्रीय लेखपाल राजस्व ग्राम जैंत, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार मथुरा तथा उप जिलाधिकारी मथुरा की संयुक्त आख्या दिनांक 13—04—2022 प्रेषित की गयी है, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि राजस्व ग्राम जैंत में लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत पुर्नग्रहण की जा रही 0.2040 हे0 भूमि मौके पर रिक्त है तथा किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन हैं। स्थल पर नाली एवं चकरोड की भूमि के पुर्नग्रहण किये जाने से अन्य किसी कृषक का न तो मार्ग अवरूद्ध हो रहा है और न कोई सिंचाई की समस्या उत्पन्न होगी। (पुर्नग्रहण की जा रही नाली एवं चकरोड की भूमि लैण्ड पूलिंग स्कीम की बाउन्ड्री के अन्दर ही प्रारम्भ एवं समाप्त हो रही है अर्थात जिसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है), जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग—1 **के शासनादेश संख्या—32/744/एक—1—2016—20(5)/2016, दिनांक 03—06—2016 के प्रस्तर संख्या—5(3)** में उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता—2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता—2016, धारा—59—4(ग) नियम संख्या—54, 55 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित 0.2040 हे0 भूमि का सःशुल्क पुर्नग्रहण मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के हक में किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

5— प्रस्ताव के साथ उप जिलाधिकारी मथुरा, अपर जिलाधिकारी, मथुरा तथा जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आख्या दिनांक 07—05—2022 कुल 20 बिन्दुओं पर प्रेषित की है, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व ग्राम जैंत, परगना वृन्दावन, तहसील/जिला—मथुरा में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 0.2640 हे0 में से पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0. 2040 हे0 है। पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित उक्त 0.2040 हे0 भूमि के किसी भाग का उपयोग कब्रिस्तान, श्मशान, खाद के गड्डे, खलिहान, कोल्हू या सड़क के लिए नहीं हुआ है। प्रस्तावित भूमि में कोई वृक्ष या जिन्स नहीं है, जिसका प्रतिकर देय हो, प्रस्तावित भूमि का कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रस्तावित भूमि के कोई पट्टेदार या लाइसेन्सी नहीं हैं। प्रश्नगत भूमि, भूमि प्रबन्धक समिति जैंत के क्षेत्रान्तर्गत न आकर नगर—निगम मथुरा—वृन्दावन के क्षेत्र में आती है। नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के पत्र दिनांक 06—12—2021 के साथ मा0 सदन की कार्यवाही दिनांक 29—10—2021 के विशेष प्रस्ताव सं0—8 की प्रतिलिपि प्रेषित की गयी है, जिसमें तहसील मथुरा के राजस्व ग्राम जैंत में लैण्ड पुलिंग स्कीम —2019 के अन्तर्गत नाली का रकवा 0.1230 हे0 तथा चकरोड का रकवा 0.1410 हे0 कुल रकवा 0.2640 हे0 नगर सम्पत्ति के पुर्नग्रहण हेतु अनापत्ति प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। शासनादेश दिनांक 03—06—2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त भूमि नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा के क्षेत्रान्तर्गत आने के कारण जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट एक करोड़ प्रति हेक्टेयर के दो गुने अर्थात दो करोड़ रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार 0.2040 हे0 भूमि का आंगणित मूल्य रू0 40,80,000/—होता है। प्रस्तावित भूमि का पूँजीकृत मूल्य माल गुजारी 6.05 रूपये का 150 गुना रू0 907.50 होता है। इस प्रकार पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित 0.2040 हेक्टेयर भूमि का कुल मूल्य रू0 40,80,907.50 (कुल चालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ सात रूपये तथा पचास पैसे मात्र) तथा पूर्णांक में रू0 40,80,907/— होता है। पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि मानचित्र में पीले पैंसिल से दर्शायी गयी है। राजस्व ग्राम जैंत में कोई पात्र व्यक्ति आवंटन हेतु शेष नहीं है। जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पुर्नग्रहण हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। चूँकि प्रकरण रू0 40 लाख से अधिक का है अतः **शासनादेश दिनांक 03—06—2016 के प्रस्तर—4(3)** में किये गये प्राविधान के अनुसार पुर्नग्रहण की कार्यवाही मण्डलायुक्त के स्तर से की जानी है। प्रस्ताव के साथ पुर्नग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि की खसरा व खतौनी की नकलें तथा नजरी—नक्शा प्रेषित किया गया है।

6— जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने उक्त पत्र में शासन के राजस्व अनुभाग—1 से निर्गत शासनादेश **संख्या—32/744/एक—क—2016—20(5)/2016, दिनांक 03—06—2016** व **शासनादेश संख्या—11/2020/689/एक—1—2020—20(5)/2016, दिनांक 06—07—2020** तथा **अधिसूचना संख्या—688/एक—क—2020—20(5)/2016, दिनांक 06—07—2020** में प्रतिनिहित/प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उक्त भूमि का पुर्नग्रहण लैण्ड पूलिंग स्कीम—2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास के उपयोगार्थ मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना है तथा भविष्य में जनसामान्य के लिये उपयोगी होगी।

Scanned with CamScanner

अतः उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अन्तर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोगार्थ राजस्व ग्राम जैंत में भूमि पुर्नग्रहण कर उपलबध कराये जाने के अनुरोध एवं तत्क्रम में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 07–05–2022 पर सम्यक विचारोपरांत लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अंतर्गत सहभागिता हेतु महत्वपूर्ण आवासीय विकास योजना के भविष्य में जनसामान्य के लिये उपयोगी होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03–06–2016 के प्रस्तर–4(1)(ग) 4(1)(घ), 4(3) एंव प्रस्तर–5(3), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्ति, शासनादेश संख्या–11/2020/689/ एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 06–07–2020 के प्रस्तर–2 एवं शासकीय अधिसूचना संख्या–688/एक–1–2020–20(5)/2016, दिनांक 06–07–2020 की धारा–59 की उपधारा (2) में उल्लिखित धारा–77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन लैण्ड पूलिंग स्कीम–2019 के अंतर्गत सहभागिता हेतु आवासीय विकास योजना के उपयोग के लिए मैं अमित गुप्ता, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उपरांकित राजस्व ग्राम जैंत की अनुसूची के कॉलम संख्या–5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि जो अब तक नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा के अधिकार में थी, का पुर्नग्रहण कर अपने अधिकार में लेते हुए मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सःशुल्क हस्तातंरित करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

(अमित गुप्ता)
आयुक्त

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1– अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।

2– आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग–5, लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, मथुरा को उनके पत्र संख्या–127/सात–बी/भू0व्य0/2022, दिनांक 07–05–2022 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वॉछित धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में शीघ्र जमा कराये जाने सहित सभी आवश्यक कार्यवाहियां समयान्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को उनके पत्र संख्या–2382/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2021–22, दिनांक 30–03–2022 एवं पत्र संख्या–पत्र संख्या–1952/अर्जन/म0वृ0वि0प्रा0/2021–22, दिनांक 12–01–2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित गुप्ता)
आयुक्त

Scanned with CamScanner